<u>न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।</u>

पत्रावली अदालत में पेश हुई। अभियुक्त की ओर से प्रर्थना पत्र जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषी पाते हुऐ अर्थदण्ड़ से दण्ड़ित किया गया। अर्थदण्ड़ अदा न करने पर उसे का साधारण कारावास भुगतना होगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुरादाबाद।